विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(प्रश्न अनुभाग)

संख्या : 549/वि0स0/07(प्र)/2012

लखनऊ, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

1-मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

2-प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय के समस्त विभाग।

विषय :--उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्न तथा सूचनाएं।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2015 से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2015 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान कर दिये जाने के फलस्वरूप लम्बित सभी प्रश्न तथा सूचनाएं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-18 के अन्तर्गत व्यपगत हो गयी हैं, परन्तु जो प्रश्न कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हैं और विगत सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये थे तथा उत्तर के लिये लम्बित थे, वे व्यपगत नहीं होंगे।

2-सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्नों के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (चौदहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 (प्रति संलग्न) के अनुसार मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि सत्रावसान की तिथि तक जितने भी प्रश्न स्वीकृत किये जा चुके हैं उन सबके लिखित उत्तर यदि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास प्रेषित कर दिये जाते हैं और उनके लिखित उत्तर प्रेषित किये जाने की सूचना उत्तर की एक प्रति सहित उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाती है, तो उन्हें उत्तरित मान लिया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 549(1-4)/वि0स0/07(प्र)/2012, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :--

1-मा0 मुख्य मंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को (मा0 मंत्रियों की सूचनार्थ),

2-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,

3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,

4-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

अशोक कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 का सन्दर्भित उद्धरण

"28-(1) सत्रावसान की तिथि तक जितने भी तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किये जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गये हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो गये हों उन सबके लिखित उत्तर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास सीधे प्रेषित किये जा सकते हैं और ऐसी दशा में उनकी एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी। इस प्रकार जिन प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजे जाने की सूचना उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाय उन्हें आगामी सत्र की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि ऐसे किसी लिखित उत्तर से सम्बन्धित सदस्य सन्तुष्ट न हों तो वह उस उत्तर के संदर्भ में उसी विषय पर प्रश्न की सूचना पुनः दे सकेंगे और ऐसी सूचना नियमानुसार ग्राह्य किये जाने की दशा में वह प्रश्न आगामी सत्र की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) यदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सत्रावसान की तिथि के एक महीने के भीतर प्रश्नकर्ता को न मिले और वे उन प्रश्नों को पुनः पूछना आवश्यक समझें तो नये सिरे से उन प्रश्नों को पुनः लिखकर उनकी सूचना विधान सभा सचिवालय को भेज सकेंगे।"

पी0एस0यू0पी0-एल0 133 विधान सभा (240)-30-09-2015-600 प्रतियां (कम्प्यूटर)।